

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक:प.8(ग) नियम / डीएलबी / 15 / 735

दिनांक. 4/1/2017

अधिसूचना


विभागीय अधिसूचना क्रमांक प. 8 (ग) (327) नियम/एलएसजी/15/12074 दिनांक 15.11.2016 की निरन्तरता में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार बकाया नगरीय विकास कर जमा कराने पर दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2017 तक नगरीय विकास कर पर देय शास्ति व ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(एम.पी.मीना)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:- प.8(ग)(327)नियम/एलएसजी/15/736-1195 दिनांक- 4/1/2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाए समस्त राजस्थान।
6. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक स्थानीय निधि अकंक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उपनिदेशक (क्षेत्रीय) समस्त राजस्थान।
9. नोडल अधिकारी मॉनेटरिंग सैल/सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना को प्रचार हेतु।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी